परीक्षा/मूल्यांकन नियमावली

(विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों के लिये)

सामान्य नियम :

1. मूल्यांकन विभाग एवं परीक्षा विभाग में गोपनीयता की दृष्टि से विद्यार्थियों का प्रवेश वर्जित है । किसी विशेष कार्य हेतु स्वीकृति के पश्चात ही विद्यार्थी परीक्षा/मूल्यांकन विभाग में जा सकते हैं ।
2. परीक्षाफल या अंकपत्र से सम्बन्धित जानकारी विद्यार्थी संकाय/समन्वयक कार्यालय से प्राप्त करेंगे ।
3. चुंकि समस्त परीक्षायें सम्पन्न होने के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराकर परीक्षाफल की घोषणा के पश्चात विद्यार्थियों के अंकपत्र सम्बन्धित संकाय/परिसर में मूल्यांकन विभाग द्वारा भेज दिये जायेंगे । अतः संस्थागत विद्यार्थियों को अंकपत्र मूल्यांकन विभाग द्वारा नहीं दिये जायेंगे ।
4. अंक पत्र की मूल प्रति केवल एक बार ही दी जायेगी ।
5. अंक पत्र की द्वितीय प्रति शपथ–पत्र (स्व–हस्ताक्षरित) एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही दी जायेगी
6. विद्यार्थियों द्वारा अंकपत्र की द्वितीय प्रति या संशोधित अंकपत्र हेतु प्रार्थना पत्र देने के पश्चात ही विद्यार्थी को मूल्यांकन विभाग द्वारा अंक पत्र व्यक्तिगत/डाक द्वारा प्रदान किया जायेगा ।
7. अंक पत्र एवं गजट के अंको में अन्तर होने की दशा में गजट (टेबुलेशन चार्ट) के अंक ही मान्य होंगे।
8. किसी भी टंकण त्रुटि के कारण विद्यार्थी को संशोधित अंक पत्र, परीक्षा परिणाम घोषणा के 30 दिन के अन्दर, प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व में दिया गया अंकपत्र (मूल प्रति) जमा करने के बाद दिया जायेगा ।
9. विद्यार्थी की किसी भी त्रुटि/गलती के कारण अंकपत्र में संशोधन के लिये निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही संशोधित अंकपत्र दिया जायेगा ।
10. समस्त पाठ्यक्रमों में प्राप्तांको के योग का प्रतिशत निकालते समय समस्त प्रश्न–पत्रों/विषयों (लिखित + सत्रीय + लघु शोध + प्रोजेक्ट रिपोर्ट + मौखिकी + प्रयोगात्मक परीक्षा) को आधार माना जायेगा ।
11. कक्षा का सम्पूर्ण परीक्षा परिणाम एक साथ ही घोषित किया जायेगा । यदि (क) किसी केन्द्र की लघु शोध, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मौखिकी, समर–ट्रेनिंग एवं प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं हुई है तो भी उस स्थिति में अलग–अलग केन्द्रों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा । (ख) एक केन्द्र पर भी यदि लघु शोध, प्रोजेक्ट, मौखिकी, समर–ट्रेनिंग एवं प्रयोगात्मक आदि की परीक्षा एक–एक या दो–दो के बैच में होती है तब भी समस्त परीक्षार्थियों की सम्पूर्ण परीक्षा सम्पन्न होने के बाद ही कक्षा का परिणाम घोषित किया जायेगा
12. परीक्षा परिणाम घोषित करते समय विद्यार्थियों का परीक्षाफल रोके जाने की स्थिति में (किसी भी कारण यथा पंजीकरण संख्या, माता का नाम, पिता का नाम, पिछला परीक्षा परिणाम आदि अनुपलब्ध होने पर) उनका परीक्षा परिणाम निर्धारित प्रक्रिया (कमियां) पूर्ण होने पर एक मास बाद ही घोषित किया जायेगा ।
13. समस्त पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों की सूची, पाठ्यक्रम का अन्तिम परीक्षाफल घोषित होने के समय ही मूल्यांकन विभाग द्वारा शिक्षा अनुभाग को भेज दी जायेगी । इसमें केवल उन्हीं विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जायेगा जो पाठ्यक्रम के समस्त प्रश्नपत्र उत्तीर्ण कर चुके हैं। अतः सर्वप्रथम घोषित परीक्षाफल में जो अंक प्राप्त होंगे वही वरीयता क्रम का आधार बनेंगे ।
14. समस्त पाठ्यक्रम में किसी भी सेमेस्टर/वर्ष के किसी भी प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा/अंक सुधार परीक्षा देने के उपरान्त विद्यार्थी को सर्वोच्च अंक हेतु वरीयता क्रम में शामिल नहीं किया जायेगा ।

15. विद्यार्थी के लघु–शोध, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मौखिकी, समर–ट्रेनिग एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर केवल बीमारी के कारण चिकित्सक की सलाह से अनुपस्थित रहने पर चिकित्सक के प्रमाण–पत्र के आधार पर ही यदि विद्यार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र एवं प्रमाण–पत्र एक सप्ताह के भीतर अथवा आगामी उपस्थिति से पूर्व दे दिया गया हो तो विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र के आधार पर निर्धारित शुल्क रू0 1000/– प्रति प्रश्न–पत्र जमा करने के पश्चात परीक्षा हेतु स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, अन्यथा नियमों के आधार पर घोषित परीक्षा परिणाम ''अनुत्तीर्ण'' को ही अन्तिम माना जायेगा ।
16. यदि कोई विद्यार्थी क्रियात्मक/मौखिकी/सत्रीय परीक्षा देने से वंचित रह गया है तो उस परीक्षा को सम्बन्धित सेमेस्टर/वर्ष की परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पूर्व ही कराया जाना आवश्यक होगा, परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात किसी भी दशा में परीक्षा नहीं करायी जायेगी ।
17. आन्तरिक/सत्रीय मूल्यांकन के अंकों को प्रत्येक विभाग द्वारा दिये गये प्रारूप में ही मूल्यांकन विभाग को प्रेषित किये जायेंगे । यह अंक इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में स्वीकार नहीं किये जायेंगे । यह अंक सेमेस्टर परीक्षा प्रारम्भ होने तक मूल्यांकन विभाग में पहुंचने आवश्यक होंगे । इस हेतु कोई पूर्व सूचना विभागों को प्रेषित नहीं की जायेगी । विभागाध्यक्ष स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त समस्त कार्यावाही निर्धारित समय के अन्तर्गत सम्पन्न हो
18. सामान्य एवं मूलभूत नियमों में संशोधन का अधिकार किसी पाठ्यक्रम की शिक्षा समिति को नहीं होगा ।
19. अन्तिम सेमेस्टर में जिन विषयों में लघु शोध ;क्पेमतजंजपवदद्ध है उनमें विद्यार्थियों द्वारा लघु शोध 15 मई तक जमा करना अनिवार्य होगा तत्पश्चात निर्धारित विलम्ब शुल्क रू 1000/– जमा करने के पश्चात ही यह अवधि 30 मई तक बढायी जा सकेगी ।
20. विश्वविद्यालय के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी को प्रवेश वर्ष के प्रारम्भ (जुलाई–अगस्त) में प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम सेमेस्टर में ही दिया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में वर्ष के बीच (जनवरी–फरवरी) में द्वितीय, चतुर्थ, षष्टम, अष्टम सेमेस्टर में विद्यार्थी को प्रवेश नही दिया जायेगा ।
21. विद्यार्थी को बी.टेक., बी.फार्म. की परीक्षा अधिकतम 8 वर्षो में, एम.सी.ए., बी.एस.सी., बी.बी.ए., अलंकार एवं बी.ए. की परीक्षा अधिकतम 6 वर्षो में एवं एम.ए., एम.एस.सी., एम.बी.ए./एफ./ई. की परीक्षा अधिकतम 4 वर्षो में, बी.पी.एड एवं पी.जी.डिप्लोमा की परीक्षा अधिकतम 2 वर्षो में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, ऐसा न करने की दशा में विद्यार्थी का पंजीकरण विश्वविद्यालय से निरस्त कर दिया जायेगा ।
22. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किये बिना विद्यार्थी द्वारा प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन) निकलवाने की दशा में पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु विद्यार्थी को पुनः प्रवेश व पंजीकरण कराना होगा । विद्यार्थी को पाठ्यक्रम उत्तीर्ण निर्धारित अवधि मे ही करना होगा । अवधि की गणना पाठ्यक्रम में प्रथम बार प्रवेश लिए जाने के समय से होगी
23. उत्तीर्ण विद्यार्थी के शैक्षिक योग्यता की जांच/सत्यापन की सूचनाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकारी संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को कुलसचिव महोदय की स्वीकृति के पश्चात् बिना शुल्क सत्यापन किया जायेगा किन्तु व्यक्तिगत या निजी संस्थाओं से मांगी गयी जानकारी या सत्यापन निर्धारित शुल्क जमा कराने के पश्चात ही सत्यापित किया जायेगा । मौखिक व दूरभाष द्वारा कोई भी जानकारी प्रदान नहीं दी जायेगी ।
24. विद्याधिकारी/विद्याविनोद के प्रमाण पत्र(सनद) पूरक परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात तैयार किये जायेंगे ।
25. विश्वविद्यालय में चल रहे समस्त पाठ्यक्रमों की उपाधियां विश्वविद्यालय में अगस्त–सितम्बर में होने वाली पुनः परीक्षाओं के परीक्षाफल की घोषणा के पश्चात ही तैयार की जायेंगी ।
26. विद्यार्थियों के सामूहिक रूप से बहिष्कृत प्रश्न–पत्र में शून्य अंक प्रदान कर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जायेगा ।
27. श्रेणी विभाजन :

विद्याधिकारी (प्रत्येक विषय में उत्तीर्णांक 33ः) **प्रथम श्रेणी** – 60ः या अधिक
द्वितीय श्रेणी – 45ः या अधिक लेकिन 60ः से कम
तृतीय श्रेणी – 33ः या अधिक लेकिन 45ः से कम

विद्याधिकारी के अलावा चल रहे समस्त पाठ्यक्रम (प्रत्येक विषय/प्रश्न पत्र में उत्तीर्णांक 40ः)
प्रथम श्रेणी – 60ः या अधिक
द्वितीय श्रेणी – 50ः या अधिक लेकिन 60ः से कम
तृतीय श्रेणी – 40ः या अधिक लेकिन 50ः से कम

28. परीक्षा परिणाम /अंक विवरणिका सम्बंधी विवाद के लिए न्यायालय क्षेत्र जिला हरिद्वार होगा ।

29. पुनः परीक्षा :

a. प्रयोगात्मक परीक्षा में पुनः परीक्षा नहीं होगी । बी0एससी0, अलंकार, बी0ए0 में प्रयोगात्मक परीक्षा के पूर्व के अंक ही जोड़े जायेंगे ।
b. यदि विद्यार्थी द्वारा लघु–शोध, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मौखिकी, समर–ट्रेनिग एवं प्रयोगात्मक परीक्षा एक बार उत्तीर्ण कर ली जाती है तो इसमें उसे भविष्य में पुनः परीक्षा का अवसर नहीं दिया जायेगा ।
c. पुनः परीक्षा या पूर्व छात्र के रूप में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को उसी खण्ड/सेमेस्ट पाठ्यक्रम की आगामी वर्ष में होने वाली परीक्षा देनी होगी ।
d. प्रत्येक पाठ्यक्रम (बी.पी.एड एवं पी.जी. डिप्लोमा के अलावा) के विद्यार्थियों को प्रत्येक प्रश्नपत्र में दो पुनः परीक्षा के अवसर सामान्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे ।
e. संस्थागत विद्यार्थियों की सेमेस्टर प्रणाली में सम ;प्प्एप्टएटप्द्ध सेमेस्टर के प्रश्न पत्रों की पुनः परीक्षा सम सेमेस्टर की परीक्षा के समय (अप्रैल–मई में) व विषम ;एप्प्प्एटएटप्प्द्ध सेमेस्टर के प्रश्न पत्रों की पुनः परीक्षा विषम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ (दिसम्बर) में होगी ।
f. वार्षिक पाठ्यक्रम में पुनः परीक्षा वार्षिक परीक्षा के समय (अप्रैल–मई में) होगी ।
g. विश्वविद्यालय अगस्त–सितम्बर माह में भी पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा सम्पन्न करायेगा, जिसमें केवल वे विद्यार्थीं सम्मिलित हो सकते हैं जो अपने अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और उनका परीक्षाफल उत्तीर्ण या पुनः परीक्षा है, वे अपने पूर्व के समस्त अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्रों (किसी भी वर्ष/ सेमेस्टर) की परीक्षा दे सकतें हैं ।
h. यदि प्रथम दो पुनः परीक्षा अवसरों में असफल रहने के बाद कोई विद्यार्थी फिर पुनः परीक्षा देना चाहता है तो यह ''विशेष अवसर'' ;ैचमबपंस बैंदबमद्ध कहलायेगा । विशेष अवसर केवल कुलपति द्वारा ही प्रदत्त होगा । विद्यार्थी को परीक्षा फार्म के साथ एक अतिरिक्त प्रपत्र भरना होगा एवं उचित माध्यम से कुलपति जी को प्रेषित करना होगा । प्रपत्र पर उल्लिखित निर्धारित शुल्क विद्यार्थी द्वारा देय होगा ।
i. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित कराने पर यदि विद्यार्थी द्वारा पुनः परीक्षा नहीं दी जाती या विद्यार्थी द्वारा परीक्षा फार्म ही नहीं भरा जाता है, उस दशा में भी पुनः परीक्षा के अवसर की गणना की जायेगी।
j. विद्यार्थी को मिलने वाले समस्त पुनः परीक्षा के अवसर उस अधिकतम सीमा अवधि में सीमित होंगे जो सम्बन्धित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित है अर्थात् एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु 2 वर्ष, द्विवर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु 4 वर्ष, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु 6 वर्ष तथा चतुर्थवर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु 8 वर्षो की समयावधि में ही समस्त सामान्य/विशेष अवसर के अन्तर्गत पुनः परीक्षाऐं देनी होंगी । इस प्रकार पुनः परीक्षाओं के विशेष अवसरों की अधिकतम संख्या इस पर निर्भर करेंगी कि पाठ्यक्रम कौन सा व प्रश्न पत्र किस वर्ष/सेमेस्टर का है।

k. यदि कोई विद्यार्थी पाठयक्रम हेतु निर्धारित अधिकतम समय सीमा में नियमानुसार पुनः परीक्षा के समस्त अवसरों के पश्चात भी असफल रहता है तब वह कुलपति को ''दया अवसर'' हेतु आवेदन कर सकता है । इस सम्बन्ध में कुलपति द्वारा निर्णय दिया जायेगा । ऐसे विद्यार्थी को भी एक प्रपत्र पर आवेदन करना होगा । स्वीकृत किये जाने की अवस्था में सामान्य पुनः परीक्षा शुल्क देय होगा ।

l. अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर में किसी विद्यार्थी द्वारा किसी प्रश्न–पत्र की पुनः परीक्षा देकर उत्तीर्ण होने के पश्चात् पुनः परीक्षा का अनुक्रमांक ही अंकपत्र पर लिखा जायेगा साथ ही अंकपत्र व उपाधि/प्रमाण पत्र पर वही परीक्षा वर्ष लिखा जायेगा जिस वर्ष विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम के अन्तिम सेमेस्टर की परीक्षा संस्थागत रूप। में दी थी ।

m. सत्रीय मूल्यांकन हेतु पुनः परीक्षा नहीं होगी किन्तु सत्रीय परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी की पुनः सत्रीय परीक्षा केवल बीमारी के कारण चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात सम्बन्धित सेमेस्टर की लिखित परीक्षा से पूर्व स्वीकृति के पश्चात करायी जा सकती है ।

30. कृपांक :

a. सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में सेमेस्टर परीक्षाफल तैयार करते समय किसी एक लिखित प्रश्न पत्र/विषय में एक अंक से अनुत्तीर्ण होने पर व इसके अतिरिक्त सेमेस्टर के समस्त प्रश्न पत्रों/विषयों के उत्तीर्ण कर लेने पर तथा सर्वयोग का प्रतिशत 40 या 40 से अधिक होने पर उक्त एकमात्र प्रश्न पत्र/विषय में एक अंक का कृपांक प्रदान कर विद्यार्थी को उत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा ।

b. प्रयोगात्मक परीक्षा में कृपांक की सुविधा नहीं दी जायेगी ।

c. नकल करते पकड़े जाने के बाद दोषी ठहराये जाने पर एवं पुनः परीक्षा/पूरक परीक्षा देने के पश्चात् कृपांक की सुविधा नहीं दी जायेगी ।

d. श्रेणी सुधार अथवा अंक सुधार परीक्षा में कृपांक की सुविधा नहीं दी जायेगी ।

e. कृपांक कुल योग में नही जोड़ा जायेगा ।

31. अनुत्तीर्णः

a. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में किसी विद्यार्थी के समस्त प्रश्न पत्रों में अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा ।

b. प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण होगा ।

c. उन सभी पाठ्यक्रमों में जहां सत्रीय मूल्यांकन है जैसे एम.सी.ए., एम.बी.ए./ई/एफ., एम.ए, एम. एस–सी., बी.टेक., अलंकार, बी.ए., बी.एस–सी., बी.फार्म, बी.बी.ए., पी.जी. डिप्लोमा व बी.पी.एड. में पूर्व छात्र ;मा`जनकमदजद्ध का प्रावधान नहीं होगा । उनको आगामी वर्ष में ही पुनः प्रवेश दिया जायेगा ।

d. यदि किसी विद्यार्थी का परीक्षाफल पुनः परीक्षा है या कोई विद्यार्थी किसी भी परिस्थिति में अपना पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किये बिना प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन) निकलवाता है तो भविष्य में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने हेतु विद्यार्थी को पुनः पंजीकरण कराकर पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अवधि में ही परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

e. अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थियों को पुनः प्रवेश लेने पर वर्तमान में चल रहे पाठ्यक्रम को ही पढ़ना होगा व उसी में परीक्षा देनी होगी । इस प्रकार के प्रवेशों से निर्धारित सीटें प्रभावित नहीं होंगी ।

f. सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के द्वितीय सेमे0 (प्रथम वर्ष) में अनुत्तीर्ण होने पर अगले सत्र पुनः प्रथम सेमें0 में ही प्रवेश दिया जायेगा । इसी प्रकार चतुर्थ, षष्ठ, व अष्ठम सेमे0 में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को अगले सत्र में तृतीय, पंचम, सप्तम सेमे0 में ही प्रवेश लेना होगा ।

32. अंक सुधार :

ण अंक सुधार परीक्षा हेतु केवल उत्तीर्ण विद्यार्थी ही आवेदन कर सकता है ।

इण विद्यार्थी एक वर्ष के समस्त प्रश्न पत्र उत्तीर्ण कर लेने पर (एक वर्ष/दोनों सेमेस्टर के समस्त प्रश्न पत्रों के) अपनी इच्छानुसार किसी एक लिखित प्रश्न पत्र में अंक सुधार हेतु परीक्षा दे सकता है ।

बण विद्यार्थी अलंकार, बी0ए0 एवं बी0एस–सी0 में एक वर्ष के दोनो सेमेस्टर के समस्त विषयों को उत्तीर्ण कर लेने पर अपनी इच्छानुसार किसी एक विषय (लिखित समस्त प्रश्न पत्रों) में अंक सुधार हेतु परीक्षा दे सकता है ।

क. किसी भी पाठ्यक्रम की अंक सुधार परीक्षा में परीक्षा परिणाम 'उत्तीर्ण' या 'अनुत्तीर्ण' ही होगा, पुनः परीक्षा नहीं । पुनः परीक्षा की दशा में विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण ही घोषित किया जायेगा ।

मण अंक सुधार परीक्षा में सम्बन्धित प्रश्न पत्र के अंको मे सुधार होने पर (पूर्व के अंको से अधिक अंक आने पर) सम्बन्धित सेमेस्टर की संशोधित अंक तालिका मूल्यांकन विभाग द्वारा संकाय/समन्वयक कार्यालय में प्रेषित की जायेंगी, अंक सुधार (बढत) न होने पर विद्यार्थी के अंक पूर्ववत ही रहेंगे ।

33. पुनः अंकगणना :

a. पुनः अंकगणना हेतु विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र, परीक्षा परिणाम घोषणा के एक मास के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद मूल्यांकन विभाग में जमा करना होगा । एक मास के उपरान्त पुनः अंकगणना हेतु कोई भी आवदेन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

b. अंको की गणना अनुत्तीर्ण/उत्तीर्ण प्रश्न–पत्रों में करायी जा सकती है।

c. अंको की गणना में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं को देखा जायेगा कि :
क. कोई प्रश्न परीक्षक द्वारा अंक देने से छूट तो नहीं गया है ।
ख. अंको के योग में त्रुटि तो नहीं है ।
ग. गजट या अंक पत्र में अंको के लिखने में कोई भूल या त्रुटि तो नहीं हुयी है ।
घ. कोडिंग/डिकोडिंग में तो कोई त्रुटि नहीं हुयी है ।

d. पुनःअंकगणना शुल्क किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जायेगा ।

e. पुनःअंकगणना हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि कुलसचिव की स्वीकृति से घटायी या बढायी जा सकती है, जिसकी सूचना समय पर जारी कर दी जायेगी ।

34. पूरक परीक्षा :

a. विद्याधिकारी व विद्याविनोद पाठ्यक्रमों में पूरक परीक्षा (नचचसपउमदजंतल) का प्रावधान है जिसकी परीक्षा जुलाई/अगस्त मास मे सम्पन्न होगी । इसके पश्चात विद्यार्थी को पूरक परीक्षा हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा ।

b. पूरक परीक्षा में प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होगी तथा विद्यार्थी के प्रयोगात्मक परीक्षा के पूर्व के प्राप्तांक ही जोड़े जायेंगे ।

c. विद्यार्थी द्वारा पूरक परीक्षा दिये जाने के पश्चात् परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर विद्यार्थी के अन्तिम अंकपत्र पर पूरक परीक्षा का अनुक्रमांक ही लिखा जायेगा ।

35. नकल करते/अनुचित साधान प्रयोग करते पकड़े जाने पर

a. परीक्षा भवन में परीक्षार्थी के पास प्रवेश पत्र के अतिरिक्त कोई भी सामग्री पाये जाने पर जो कि प्रश्न पत्र से सम्बन्धित न हो, परीक्षार्थी को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी देकर उसका सम्बन्धित

सेमेस्टर/वर्ष का परीक्षाफल घोषित कर दिया जायेगा । लेकिन उसी सत्र में पुनः इस प्रकार की सामग्री पकड़े जाने पर परीक्षार्थी को भविष्य में ऐसी गलती करने हेतु कडी चेतावनी देकर परीक्षार्थी से इस प्रसार की गलती न करने का स्वः हस्ताक्षरित पत्र लेना होगा ।

b. प्रश्न पत्र से सम्बन्धित कोई भी सामग्री जिसका प्रयोग प्रश्न पत्र हल करने में सम्भावना हो, लेकिन प्रयोग न किया गया हो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी को द्वितीय उत्तर पुस्तिका प्रदान कर उसे मूल्यांकित कराकर उसका परीक्षाफल घोषित कर दिया जायेगा । परीक्षार्थी द्वारा गलती की पुनरावृत्ति करने पर उसको सम्बन्धित प्रश्न–पत्र में शून्य अंक प्रदान कर परीक्षार्थी का परीक्षाफल घोषित दिया जायेगा ।

c. यदि परीक्षार्थी ने सम्बन्धित नकल सामग्री से नकल की हो तो उस प्रश्न पत्र में शून्य अंक प्रदान कर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा ।

d. यदि परीक्षार्थी ने नकल सामग्री या नकल हेतु उत्तरपुस्तिका का आदान–प्रदान किया हो तो उन परीक्षार्थियों का पूरा परीक्षाफल (सम्बन्धित सेमेस्टर/वर्ष) निरस्त किया जायेगा ।

e. यदि परीक्षार्थी ने नकल सामग्री से नकल करने के उपरान्त पकड़े जाने पर प्रमाण नष्ट किये जाने का प्रयास किया हो या प्रमाण नष्ट कर दिया हो (जैसे नकल सामग्री फाड़कर टुकड़े–टुकड़े कर देना, चबाकर निगल जाना, स्याही से खराब कर देना आदि) या ऐसा करते समय अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्रता की हो तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी से सम्बन्धित पूरा परीक्षाफल (सम्बन्धित सेमेस्टर/वर्ष का) निरस्त कर परीक्षार्थी को अगले एक वर्ष/दो सेमेस्टर के लिए विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जायेगा एवं इनकी सूचना अन्य विश्वविद्यालयों में भी प्रेषित की जायेगी ।

36. मूल्याँकित उत्तर–पुस्तिका अवलोकनार्थ के सम्बन्ध में :

a. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के उवलोकनार्थ ईच्छुक विद्यार्थियों को मई–जून में सम्पन्न परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाएँ परीक्षाफल की घोषणा के पश्चात 16 अगस्त तक तथा जुलाई से दिसम्बर के मध्य सम्पन्न होने वाली परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाएँ देखने हेतु परीक्षाफल की घोषणा के पश्चात 20 फरवरी तक आवेदन करना अनिवार्य होगा ।

b. विद्यार्थियों को निर्धारित अवधि में, निर्धारित प्रपत्र पर, निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय रोकड़ कक्ष में जमा करके मूल्याँकन विभाग में आवेदन करना होगा ।

c. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि के पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

d. सितम्बर व मार्च माह के प्रारम्भ में उत्तर–पुस्तिका/पुस्तिकायें दिखाये जाने के कार्यक्रम की सूचना (कक्षा, विषय, दिनांक व समय) विद्यार्थियों हेतु सूचना पट पर लगा दी जायेगी तथा इस कार्यक्रम की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी ।

e. उत्तर–पुस्तिका दिखाने हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी दशा में उत्तर–पुस्तिका नहीं दिखायी जायेगी

f. उत्तर–पुस्तिका केवल सम्बन्धित विद्यार्थी को ही दिखलायी जायेगी जिसकी वह उत्तर–पुस्तिका है ।

g. उत्तर–पुस्तिका देखने हेतु विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत परीक्षा प्रवेश पत्र एवं छात्र परिचय पत्र लाना अत्यावश्यक होगा ।

h. विद्यार्थी को उसके द्वारा लिखित उत्तर–पुस्तिका के अतिरिक्त अन्य कोई उत्तर–पुस्तिका नहीं दिखायी जायेगी

i. मूल्याँकित उत्तर–पुस्तिका में अंकों के योग में त्रुटि होने पर अथवा किसी प्रश्न के जाँचने से रह जाने पर निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर संशोधन (सुधार) करने के पश्चात सूचना प्रसारित की जायेगी ।

j. मूल्याँकित उत्तर–पुस्तिका में अंकों के योग की त्रुटि व किसी प्रश्न के जँचने से रह जाने के अतिरिक्त अन्य किसी भी शिकायत पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के समय विद्यार्थी को त्रुटि पाये जाने पर तत्काल मूल्यांकन विभाग में सूचित करना होगा, तत्पश्चात किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

k. विद्यार्थी को उत्तर–पुस्तिका केवल एक बार ही दिखलायी जायेगी ।

l. किसी भी परिस्थिति में जब्त की गयी उत्तर पुस्तिका विद्यार्थी को नहीं दिखलायी जायेगी ।

m. विद्यार्थी के अवरुद्ध परीक्षाफल (पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने के कारण या किसी अन्य कारण से) की घोषणा उत्तर पुस्तिका दिखाने की अवधि के पश्चात होने की दशा में ऐसे विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका नहीं दिखायी जायेगी

n. विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र की मूल्याँकित उत्तर–पुस्तिका दिखाये जाने हेतु निर्धारित शुल्क रु0 500/– प्रति उत्तर–पुस्तिका एवं फोटो प्रति प्राप्ति हेतु रु0 600/– (रु0 500/– + रु0 100/–) प्रति उत्तर–पुस्तिका निर्धारित अवधि में विश्वविद्यालय रोकड़ कक्ष मे जमा कराने के पश्चात निर्धारित प्रपत्र, अंक पत्र की फोटो प्रति सहित मूल्यांकन विभाग में जमा करना होगा ।

o. मूल्याँकित उत्तर–पुस्तिका की मुख पृष्ठ की छाया प्रति विद्यार्थी को नहीं दी जायेगी ।

p. मूल्याँकित उत्तर–पुस्तिका परीक्षक की पहचान छिपाकर ही विद्यार्थी को दिखायी जायेगी ।

q. 30 सितम्बर के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा एक वर्ष पूर्व की समस्त परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट कर दी जायेंगी ।

r. विशेष परिस्थिति में मूल्यांकित उत्तर–पुस्तिका देखने हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि कुलसचिव की स्वीकृति से घटायी या बढायी जा सकती है, जिसकी सूचना समय पर जारी कर दी जायेगी

s. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका देखने का शुल्क किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जायेगा ।

37. उत्तर–पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के सम्बन्ध में :

ंण पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षाफल की घोषणा के 35 दिन के अन्दर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारुप पर एवं निर्धारित पुनर्मूल्यांकन शुल्क जमा करने के साथ आवेदन करना आवश्यक है ।

इण जिन परीक्षार्थियों ने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका देखने हेतु आवेदन किया है वे परीक्षार्थी अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकायें देखने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर अपनी उन्ही उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु शुल्क जमा कर आवेदन कर सकते हैं ।

बण पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षार्थी के द्वारा स्वयं आवेदन किया जायेगा तथा आवेदन पत्र पर विद्यार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर होंगे किसी अन्य के नहीं ।

कण परीक्षार्थी केवल दी गयी परीक्षा में 1/3(एक तिमाही) प्रश्न पत्रों में ही पूनर्मूल्यांकन करा सकता हैं ।

मण प्रयोगात्मक/शोध/प्रोजेक्ट/सत्रीय मूल्यांकन परीक्षा एवं पुनः परीक्षा व वाक आउट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा ।

णि पुनर्मूल्यांकन का निर्णय अंको में परिवर्तन नहीं(छव बिंदहमद्धए अंको में बढत(प्दबतमेंमद्धए अंको में घढत (क्मबतमेंमद्ध होगा ।

हण पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् मूल अंको में +5ः तक प्राप्तांक मे बदलाव होता है तो मूल अंक (पुराने प्राप्तांक) पूर्ववत रहेंगे ।

ीण पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि किसी परीक्षार्थी के प्राप्तांक 100ः हो जाते हैं । इस परिस्थिति में यदि परीक्षार्थी के अंको में 5ः या इससे कम बढोतरी है तो बढत मान्य होगी । उदाहरणार्थ :– परीक्षार्थी के मूल अंक 48/50 हैं पुनर्मूल्यांकन के पश्चात 50/50 अंक आने पर 4ः अंक बढोतरी पश्चात भी बढे अंक ही मान्य होंगे ।

पण पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि किसी परीक्षार्थी के प्राप्तांको को समायोजित करने पर उसका परीक्षा परिणाम (यथा– अनुत्तीर्ण से पुनः परीक्षा, अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण, पुनः परीक्षा से उत्तीर्ण, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी) बदलता है और पुनर्मूल्यांकन पश्चात अंकों में बढोतरी 5ः या इससे कम है तो बढत मान्य होगी ।

रण पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्तांक व मूल अंको में अन्तर +5ः से अधिक किन्तु +15ः तक है तो पुनर्मूल्यांकन के प्राप्तांक मान्य होगे ।

ाण पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्तांक व मूल अंको में अन्तर +15ः से अधिक है उस परिस्थिति में पुनः किसी अन्य परीक्षक द्वारा उक्त उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराया जायेगा, तत्पश्चात् प्रथम पुनर्मूल्यांकन व द्वितीय पूनर्मूल्यांकन (अन्तिम दो मूल्यांकन) के प्राप्तांको के औसत अंक विद्यार्थी को प्रदान किये जायेगें ।

सण अंको में परिवर्तन के पश्चात् पूर्व में निर्गत अंकपत्र मूल्यांकन विभाग में जमा करने के पश्चात् ही विद्यार्थी को संशोधित अंक पत्र जारी किया जायेगा ।

उण पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् परीक्षाफल में संशोधन विद्यार्थी को मान्य होगा ।

दण पुनर्मूल्यांकन के समय पूर्व परीक्षक से सम्बन्धित पहचान व पूर्व प्राप्तांक प्रदर्शित नहीं किये जायेगे ।

वण पुनर्मूल्यांकन केवल बाह्य परीक्षकों द्वारा ही कराया जायेगा ।

चण किसी परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने के पश्चात् पुनर्मूल्यांकन हेतु उसी परीक्षक को नही बुलाया जायेगा ।

ुण मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि कुलसचिव की स्वीकृति से घटायी या बढायी जा सकती है, जिसकी सूचना समय पर जारी कर दी जायेगी ।

तण मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन का शुल्क किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जायेगा ।

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु विशेष नियम

विद्याधिकारी (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम, वार्षिक परीक्षा प्रणाली)

1.परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिये लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में अलग–अलग 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे ।

2. यदि कोई परीक्षार्थी किसी एक या दो विषयों के अतिरिक्त अन्य सब विषयों में उत्तीर्ण हो और उसने सर्वयोग (उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण विषयों के जोड) में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तो जिन एक या दो विषयों के लिखित प्रश्न पत्रों में वह अनुत्तीर्ण है तथा उत्तीर्ण होने के लिये कुल 12 अंक या 12 से कम अंको की ही न्यूनता है तो अभ्यर्थी को अधिकतम 12 अंक का कृपांक देकर उत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा । कृपांक कुल योग में नहीं जोडे जायेंगे ।

3.यदि कोई परीक्षार्थी किसी एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण होता है व कृपांक की सुविधा का पात्र नहीं है तो उस परीक्षार्थी को पूरक परीक्षा की सुविधा प्रदान की जायेगी ।

4.गृह विज्ञान मे पूरक परीक्षा/कृपांक की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी

विद्याविनोद (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम, वार्षिक परीक्षा प्रणाली)

1. परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिये लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में अलग–अलग 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे ।

2.यदि कोई परीक्षार्थी किसी एक या दो विषयों के अतिरिक्त अन्य सब विषयों में उत्तीर्ण हो और उसनं सर्वयोग (उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण विषयों के जोड) में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तो जिन एक या दो विषयों के लिखित प्रश्न पत्रों में वह अनुत्तीर्ण है तथा उत्तीर्ण होने के लिये कुल 12 अंक या 12 से कम अंको की ही न्यूनता है तो अभ्यर्थी को अधिकतम 12 अंक का कृपांक देकर उत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा । कृपांक कुल योग में नहीं जोडे जायेंगे ।

3.यदि कोई परीक्षार्थी किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है व कृपांक की सुविधा का पात्र नहीं है तो उसे पूरक परीक्षा की सुविधा प्रदान की जायेगी ।

योग प्रमाण–पत्र–(षट्मासिक पाठ्यक्रम)

1. परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिये लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में अलग–अलग न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगें ।

2.कृपांक की सुविधा नहीं दी जायेगी ।

3. पुनः परीक्षा की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी ।

4. किसी भी प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा ।

बी.फार्म. एवं बी.टेक. (चतुर्वर्षीय, सेमेस्टर प्रणाली), एम.सी.ए., बी.बी.ए.,(त्रिवर्षीय, सेमेस्टर प्रणाली), एम.ए., एस.एस–सी., एम.बी.ए./एफ./ई.(द्विवर्षीय, सेमेस्टर प्रणाली), बी.पी.एड., पी.जी. डिप्लोमा (एक वर्षीय, सेमेस्टर प्रणाली)

1.परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न–पत्र में उत्तीर्ण होने के लिये लिखित व प्रयोगात्मक परीक्षा में अलग–अलग 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे ।

2.परीक्षार्थी के एक या एक से अधिक लिखित प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण होने की दशा में किन्तु एक वर्ष में कुल प्रश्न पत्रों में से कम से कम 50 प्रतिशत प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी को अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्रों में पुनः परीक्षा की सुविधा प्रदान की जायेगी । पुनः परीक्षा की सुविधा केवल लिखित प्रश्न पत्रों में ही दी जायेगी प्रयोगात्मक परीक्षा में नहीं ।

3.परीक्षार्थी को सेमेस्टर परीक्षाफल के समय किसी एक लिखित प्रश्न पत्र में एक अंक से अनुत्तीर्ण होने व अन्य समस्त प्रश्न पत्रों को उत्तीर्ण कर लेने तथा सर्वयोग का प्रतिशत 40 या अधिक होने की दशा में उक्त एकमात्र अनुत्तीर्ण लिखित प्रश्न पत्र में 01 अंक का कृपांक देकर उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा । कृपांक कुल योग में नहीं जोडे जायेंगे ।

अलंकार, बी.ए., बी.एस–सी (त्रिवर्षीय, सेमेस्टर प्रणाली)

1. परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिये लिखित व प्रयोगात्मक परीक्षा में अलग–अलग 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे ।

2. परीक्षार्थी के एक या एक से अधिक विषय के लिखित प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण होने पर किन्तु एक वर्ष में कुल विषयों में से कम से कम 50 प्रतिशत विषयों में उत्तीर्ण होने की दशा में परीक्षार्थी को अनुत्तीर्ण विषयों के सत्रीय एवं प्रयोगात्मक परीक्षा के अतिरिक्त समस्त लिखित प्रश्न पत्रों में पुनः परीक्षा की सुविधा प्रदान की जायेगी । पुनः परीक्षा में सत्रीय एवं प्रयोगात्मक परीक्षा के पूर्व के अंक ही समायोजित किये जायेंगे ।

3. परीक्षार्थी सेमेस्टर परीक्षाफल के समय किसी एक विषय (लिखित प्रश्न पत्रों के योग) में एक अंक से अनुत्तीर्ण होने व अन्य समस्त विषयों को उत्तीर्ण कर लेने तथा सर्वयोग का प्रतिशत 40 या अधिक होने की दशा में उक्त एकमात्र अनुत्तीर्ण विषय में 01 अंक का कृपांक देकर उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा । प्रयोगात्मक परीक्षा में कृपांक की सुविधा नहीं दी जायेगी । कृपांक कुल योग में नहीं जोडे जायेंगे ।

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न मदों में लिया जाने वाला निर्धारित शुल्क :

उपाधि/प्रमाण पत्र शुल्क (दीक्षान्तोत्सव पर)	रू 300
उपाधि/प्रमाण पत्र शुल्क (दीक्षान्तोत्सव पश्चात)	रू 400
प्रोविजनल उपाधि/प्रमाण पत्र शुल्क	रू 200
डुप्लीकेट उपाधि/प्रमाण पत्र शुल्क	रू 400
माईग्रेशन शुल्क	रू 200

डुप्लीकेट माईग्रेशन शुल्क	रू 200
चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क	रू 50
पुनः परीक्षा शुल्क	रू 500
पुनः परीक्षा विशेष अवसर शुल्क	रू 1000
पुनर्मूल्यांकन शुल्क	रू 1000
शैक्षिक योग्यता की जांच(सत्यता) शुल्क	रू 250
ट्रांस्क्रिप्ट शुल्क	रू 250
मूल्यांकित उ.पु. देखने का शुल्क	रू 500 प्रति उत्तर पुस्तिका
मूल्यांकित उ.पु. देखना व फोटोप्रति	रू 600 प्रति उत्तर पुस्तिका